संख्या-59/2020/2920/22-2-2019-17(281)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2020***

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर शुक्ल पुत्र श्री गुलाब शुक्ल निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5-दयायाचिका(बैठक-26.09.2019) दिनांक 15.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर शुक्ल पुत्र श्री गुलाब शुक्ल, जो-बिलरहा, थाना-बडहलगंज, जनपद-गोरखपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.07.1992 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावडे, मुक्का व ईट से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-173/1993 में भा0द0वि0 की धारा-304 पार्ट-1, 307,323 अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 20.10.1995 द्वारा दोषमुक्त किया गया, जिसके गवर्मेन्ट अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2007 द्वारा 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, उक्त के विरूद्ध मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (क्रि0)अपील संख्या-1159/2007 में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2017 द्वारा उक्त सजा को लघुकृत करते हुए 06 वर्ष के कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 46 वर्ष, काटी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिशंकर शुक्ल (बंदी संख्या-67/2017) पुत्र श्री गुलाब शुक्ल, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2020/2920(1)/22-2-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in